web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 09 मई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 221

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

गाजियाबाद में महिला की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद (आरएनएस)। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक महिला की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला के साथ मौजूद एक शख्स को भी हमलावर ने घायल कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल व्यक्ति का उपचार अस्पताल में चल रहा है। महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी मां के घर रहने के लिए आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम इलाके में अभय खंड चौकी क्षेत्र में शनि चौक के पास ज्योति नाम की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला के साथ मौजूद एक शख्स पर भी हमलावर ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया है, उसे अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति इंदिरापुरम इलाके में पडऩे वाले मकनपुर गांव में अपनी मां के पास रहने के लिए आई थी। उसका अपने परिचित बॉबी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी बॉबी ने ज्योति पर चाकुओं से वार कर दिया और उसके साथ मौजूद एक शख्स पर भी हमला बोल दिया। ज्योति की मौत हो गई है जिसके बाद ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और घायल व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कराया गया। आरोपी बॉबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

'सिक लीव' पर गए एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी, 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसल

नई दिल्ली (आरएनएस)। पायलट की कमी कारण कई एयरलाइंस कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की इस हरकत की वजह से मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 70 से ज्यादा डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसल हो गई। एएनआई के ट्वीट के अनुसार सिविल एविएशन अथॉरिटीज इस मसले पर नजर बनाए हुए है। कई पैसेंजर्स काफी परेशान हुए हैं। उन्होंने एयर कैरियर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया है। पिछले महीने एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने कुप्रबंधन का आरोप लगाया था और कहा था कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइन के केबिन क्रू के एक ग्रुप ने कल रात अंतिम समय में बीमार होने की सूचना दी है, जिसकी वजह से उड़ान में देरी होने के साथ फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी हैं, जबकि हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू के साथ बातचीत कर रहे हैं। एयरलाइन टीमें सक्रिय रूप से इस इश्यू को देख रही है और समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि क्रू मेंबर्स के अचानक से बीमार होने की खबर से जो असुविधा पैसेंजर्स को हुई है उसके लिए एयरलाइन माफी मांगती है।

गुजरात के सौराष्ट्र में भूकंप के झटके, घरों से निकले लोग

नईदिल्ली (आरएनएस)। गुजरात के सौराष्ट्र में तलाला से 12 किमी दूर उत्तरपूर्व में 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि इसकी तीव्रता काफी कम थी. इस दौरान लोग घरों से बाहर आ गए. यह झटके कुछ देर के लिए आए थे. फिलहाल किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. पिछले साल गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी. इस भूकंप में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था. गुजरात में सबसे बड़ा भूकंप 2001 में आया था. इस भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी. यह भूकंप भुज में आया था. 26 जनवरी 2001 के दिन भारत 51 वां गणतंत्र दिवस मना रहा था. सुबह 08:46 बजे ये भूकंप दो मिनट के लिए आया था. इसका केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में चबारी गांव के करीब 9 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में था. इसकी तीव्रता 7.7 दर्ज की गई थी. इस भूकंप में 20,023 लोगों की मौत हो गई. वहीं 167,000 लोग घायल हो गए. वहीं करीब 400,000 से अधिक घर नष्ट हो गए.

दुष्प्रभावों के खुलासे के बाद कोविशील्ड खुराक का विनिर्माण, अतिरिक्त आपूर्ति रोकी : सीरम इंस्टीट्यूट

नई दिल्ली | आरएनएस

ब्रिटिश-स्वीडिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने वैश्विक स्तर पर अपनी कोविड-19 वैक्सीन वापस ले ली है, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने बुधवार को कहा कि उसने दिसंबर 2021 में कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी है।

एस्ट्राजेनेका ने स्वेच्छा से अपने कोविड वैक्सीन के विपणन प्राधिकरण को वापस ले लिया है, जिसे भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्सजेवरिया के रूप में बेचा जाता है।

एसआईआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत में 2021 और 2022 में उच्च टीकाकरण दर हासिल करने के साथ-साथ नए उत्परिवर्ती प्रकार के उपभेदों के उद्भव के साथ पिछले टीकों की मांग काफी कम हो गई है।

प्रवक्ता ने कहा, परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 से हमने कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी है।

सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वे चल रही चिंताओं को पूरी तरह से समझते हैं और पारदर्शिता और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देना महत्वपूर्ण है।

कंपनी ने कहा कि शुरुआत से ही, हमने 2021 में पैकेजिंग इंसर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस सहित सभी दुर्लभ से बहुत दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा किया है।

थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम (टीटीएस) एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है, जिसके कारण लोगों में रक्त के थक्के बन सकते हैं और रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है, जो ब्रिटेन में कम से कम 81 मौतों के साथ-साथ सैकड़ों गंभीर मामलों से जुड़ी है।

एसआईआई ने जोर देकर कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान चुनौतियों का सामना करने के बावजूद टीके की सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है।

सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, चाहे वह एस्ट्राजेनेका का वैक्सजर्वरिया हो या हमारा अपना कोविशील्ड, दोनों टीके दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक रहे हैं।

हम महामारी के लिए एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सरकारों और मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना करते हैं।

इस बीच, यूके में एक उच्च न्यायालय मामले में 50 से अधिक कथित पीड़ितों और दुखी रिश्तेदारों द्वारा ब्रिटिश-स्वीडिश बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल पर भी मुकदमा दायर किया जा रहा है।

भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर रूस-यूक्रेन युद्ध में धकेल रहे थे तस्कर, सीबीआई ने 4 को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली | आरएनएस

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने मार्च में कुल कंसल्टेंसी और उनके मालिकों समेत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया। इसके बाद सात राज्यों में छापेमारी भी की। एजेंसी ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और मानव तस्करी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

दरअसल, रूस के कुछ इलाकों से कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें कंसल्टेंसी के कुछ लोग भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस बुला रहे थे। ये लोग युवाओं को बुलाते तो नौकरी के नाम पर थे, लेकिन वहां पहुंचने पर वॉर जोन में धकेल देते थे। जैसी ही मामला संज्ञान में आया सीबीआई ने जांच शुरू की और अब पहली गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आरोपियों को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। हालांकि, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की अभी तक पहचान उजागर नहीं की गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। देश में फैली कई वीजा परामर्श कंपनियां, उनके मालिक और एजेंट सीबीआई के रडार पर हैं।

जानकारी के मुताबिक, ये लोग सोशल मीडिया और स्थानीय संपर्कों और एजेंटों के जरिए युवाओं तक पहुंचते थे और फिर उन्हें हाई सैलरी की लालच और नौकरियों के झूठे वादे कर रूस ले जाते थे। सीबीआई को ऐसे 35 उदाहरण मिले हैं जिनमें सोशल मीडिया चैनलों और स्थानीय संपर्कों और एजेंटों के माध्यम से उच्च वेतन वाली नौकरियों के झूठे वादे का लालच देकर युवाओं को रूस ले जाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका की योग्यता पर सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली | आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका की योग्यता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें राज्य सरकार की अनुमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के चुनाव बाद हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर बंगाल सरकार की याचिका की योग्यता पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों की सुनवाई पूरी की।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का हवाला दिया और कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू करने और एफआईआर दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति नहीं ली है, जो इस कानून के तहत जरूरी है।

दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि राज्य सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच की अनुमति से इनकार करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार हर मामले के लिए अलग-अलग अनुमति दे सकती है या अनुमति देने से इनकार कर सकती है, लेकिन उसे इसके लिए ठोस एवं उचित कारण भी बताना होगा। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा के मामलों में कई एफआईआर दर्ज की हैं। शीर्ष अदालत ने सितंबर 2021 में नोटिस जारी किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर शुरू जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।

आरसीसी साइबर हमला : 20 लाख मरीजों का डेटा चोरी, क्रिप्टोकरेंसी में मांगी फिरौती

तिरुवनंतपुरम | आरएनएस

भारत में साइबर हमलों की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के तहत यहां क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (आरसीसी) के 20 लाख रोगियों के विवरण से छेड़छाड़ की गई, जिससे 14 में से 11 सर्वर प्रभावित हुए और विकिरण विभाग सहित कई प्रभागों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। सूत्रों ने बताया कि हमले ने 20 लाख से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुरायी गयी और क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती की मांग की। कथित तौर पर कोरियाई-आधारित साइबर अपराधियों ने आरसीसी के डेटा स्रोत में सफलतापूर्वक घुसपैठ की और 80 लाख से अधिक मरीजों की संवेदनशील जानकारियां निकालीं और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौतीफिरौती की मांग की।

सूत्रों ने कहा, तिरुवनंतपुरम में आरसीसी के विकिरण विभाग पर साइबर हमला 30 अप्रैल, 2024 को हुआ था। यह एक राज्य के स्वामित्व वाला प्रीमियम कैंसर देखभाल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र है, जो पूरे भारत के रोगियों की सेवा करता है। हमले ने विकिरण उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर को लक्षित किया। मरीजों को विकिरण देने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया था। हमले के लिए जिम्मेदार समूह को डाइक्सिन टीम के नाम से जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार 20 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संग्रहीत करने वाले दो प्रमुख सर्वरों हैक किया गया था। लाखों मरीजों के सर्जिकल, रेडिएशन और पैथोलॉजी परिणाम वाले सर्वर पर हमला किया गया था। हमले ने मरीजों के इलाज और अनुवर्ती जांच को नुकसान पहुंचाया। मरीजों को गलत विकिरण खुराक मिल सकती थी, जिससे जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता था। हैकर्स ने जिम्मेदारी ली और विदेश से एक ईमेल भेजा। उन्होंने अरबों रुपये की क्रिप्टोकरेंसी की मांग की। हमले के बाद से विकिरण उपचार रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

हमले ने संवेदनशील रोगी डेटा को खतरे में डाल दिया, जिसमें नाम, उम्र, पते, फोन नंबर और चिकित्सा इतिहास जैसी व्यक्तिगत साख शामिल हैं। मामले की जांच कर रही साइबर पुलिस और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-के) के मुताबिक, चीनी और उत्तर कोरियाई हैकर्स की भूमिका संदिग्ध है। उल्लेखनीय है कि 2022 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर भी ऐसा ही साइबर हमला हुआ था, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों की स्वास्थ्य जानकारियां चुरायी गयी थीं।

आरसीसी ने प्रवेश स्तर के यूटीएम के साथ केवल परिधि सुरक्षा लागू की है और डीआईडी रणनीति के साथ कोई स्तरित सुरक्षा नहीं है। समझा जाता है कि आरसीसी के पास कोई अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति भी नहीं है। कई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन सुरक्षा खामियों के प्रति आगाह किया, लेकिन आरसीसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस बीच, केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग करते हुए, साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि आरसीसी के निदेशक की जिम्मेदारी साइबर हमले के संबंध में मरीजों और हितधारकों के साथ संवाद करने की है, खासकर जब इसमें 20 लाख मरीजों के डेटा की चोरी जैसे महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन शामिल हो।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने पर यात्रियों का हंगामा, विमानन मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

नईदिल्ली | आरएनएस

भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज्यादा उड़ानें अचानक रद्द कर दी गई हैं। इसके पीछे विमानन कंपनी के कर्मचारियों का एक साथ बीमारी के चलते छुट्टियों पर जाना बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइंस के 300 से ज्यादा कर्मचारी मंगलवार देर रात बीमारी के चलते छुट्टी पर चले गए हैं और कई कर्मचारियों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उड़ानें रद्द होने के बाद दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि समेत कई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के एक वीडियो में यात्रियों को चालक दल पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, जिनकी गोवा, गुवाहाटी और श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। यात्रियों ने आरोप लगाए कि एयरपोर्ट पर उनके ठहरने का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया।

विवाद बढ़ता देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले पर एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी है।खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने उड़ानें रद्द करने के संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और उनसे मुद्दों को तुरंत हल करने को कहा है। साथ ही उन्हें नागर विमानन महानिदेशालय मानदंडों के अनुसार यात्रियों को सुविधाएं सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

उड़ान रद्द होने से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 3-4 घंटे फंसे रहेउन्होंने कहा, जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था तो एयर इंडिया के पायलटों ने 40 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। तब हम निजी एयरलाइंस लाए, लेकिन एयर इंडिया ने कोई सबक नहीं सीखा। अगर उड़ानें रद्द हो गई तो हमें सुबह ही सूचित करना चाहिए था। यात्रियों को मूर्ख क्यों बनाया जाए? इतने लोगों को परेशान किया जा रहा है।

कर्मचारियों ने एयरलाइन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। इस संबंध में कर्मचारियों ने 26 अप्रैल को टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र भी लिखा था।इसमें कर्मचारियों ने लिखा के वित्त मंत्री के आश्वासन के बावजूद कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको मिलने वाले जरूरी भत्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जिनसे उनकी सैलरी काफी कम हो गई है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हम घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए चालक दल से बातचीत कर रहे हैं। यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम करने के लिए हमारी टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। हम इस परेशानी के लिए अपने मेहमानों से ईमानदारी से माफी मांगते हैं। उड़ान रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड या किसी अन्य तारीख के लिए दूसरी फ्लाइट की पेशकश की जाएगी।

देश में अब हाइपरलूप ट्रेनें चलाने की तैयारी, सिर्फ 20 मिनट में तय होगा 148 किमी का सफर

नईदिल्ली | आरएनएस

सरकार ने देश में सडक़ों का जाल बिछाकर और वंदेभारत ट्रेन दौड़ाकर बता दिया है कि यहां अमेरिका जैसी सभी सुविधा मिल सकती है. अब जल्द ही आपको हाईपरलूप ट्रेनों में सफर करने का मौका मिलेगा. जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में 3 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा. खास बात ये है कि फ्लाइट से भी इस दूरी को तय करने में 45 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है. यानि फ्लाइट से भी आधे समय में आप इन दो शहरों की यात्रा कर सकेंगे. पूणे में इसका ट्रायल चल रहा है. आपको बता दें कि बई से पुणे की दूरी करीब 148 किलोमीटर है. यदि आप इस दूरी को फ्लाइट से भी तय करते हैं तो 45 मिनट लग जाते हैं. लेकिन हाइपरलूप ट्रेनों के जरिये इस दूरी को महज 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकेगा. साथ ही इनका किराया हवाई सफर से कम रखा जाएगा. जानकारी के मुताबिक पुणे स्थित स्टार्टअप क्विंट्रांस हाइपरलूप ने बताया कि 2032-33 तक इस सुविधा को आम लोगों के लिए शुरु करने की प्लानिंग है. आपको बता दें कि यह देश की पहली ट्रेन होगी मुंबई-पुणे के बाद दिल्ली-चंडीगढ़ और चेन्नई-बैंगलोर जैसे बड़े शहरों के बीच चलाई जाएगी.

क्विंट्रांस हाइपरलूप के फाउंडर प्रणय लुनिया के मुताबिक, फ्लाइट की तुलना में इसका किराया आधा रहेगा. जबकि यह सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन में से एक माना जाता है. मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन का किराया 1000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक ही रहेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक तकनीक के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक तकनीक के अनियमित उपयोग से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा की याचिका पर मंत्रालय से जवाब मांगा।

सुनवाई के दौरान पीठ ने डीपफेक तकनीक के प्रसार के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें गलत सूचना की संभावना और सार्वजनिक चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव का हवाला दिया गया।

अदालत ने इस मुद्दे के संबंध में राजनीतिक दलों की शिकायतों पर भी गौर किया और इसे संबोधित करने पर सरकार के रुख पर सवाल उठाया।

जनहित याचिका में डीपफेक तकनीक से उत्पन्न विभिन्न खतरों पर जोर दिया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और जनता की राय में हेरफेर में इसका संभावित उपयोग शामिल है। यह विशेष रूप से राजनेताओं, खेल हस्तियों और अभिनेताओं जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के डीपफेक बनाने से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करता है।

याचिका में डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े संभावित नुकसान को कम करने के लिए सख्त विनियमन और सक्रिय उपायों का आग्रह किया गया है।

इसका तर्क है कि पर्याप्त विनियमन का अभाव संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है।

शर्मा की जनहित याचिका में कहा गया है, ...उनके दुरुपयोग से जुड़े संभावित नुकसान को कम करने के लिए सख्त प्रवर्तन और सक्रिय कार्रवाई की तत्काल जरूरत है। डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त विनियमन और सुरक्षा उपायों का अभाव संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है।

डीपफेक से निपटने के लिए नियम बनाने की सरकार की पहले की प्रतिबद्धता के बावजूद जनहित याचिका इस संबंध में ठोस कार्रवाई की कमी की ओर इशारा करती है। इसमें डीपफेक के निर्माण को सक्षम करने वाले प्लेटफार्मों की पहचान करने और उन तक पहुंच को अवरुद्ध करने, शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और शिकायतें प्राप्त होने पर डीपफेक को हटाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को निर्देश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

पीआईएल में कहा गया है, भारत में इस समय डीपफेक से निपटने के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं है। मौजूदा कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 66 सी, 66 डी, 67 और 67ए शामिल हैं, जो पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड लगाते हैं।

इसमें कहा गया है : हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69ए केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में होस्ट की गई जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, लेकिन डीपफेक के निर्माण की अनुमति देने वाले अनुप्रयोगों से निपटने के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

इसके अलावा, याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई है कि जब तक सरकार द्वारा विशिष्ट नियम नहीं बनाए जाते, तब तक डीपफेक का निर्माण और प्रसार संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो।

शर्मा की जनहित याचिका में मौजूदा ढांचे की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह डीपफेक के अपराधियों/निर्माताओं की पहचान में मदद तक नहीं करता है।